SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Public Relations Officer (Rajasthan)

जनसंपर्क अधिकारी सरकार और जनता के बीच सूचना का सेतु है। काम में विभागों की योजनाओं एवं निर्णयों को समाचार के रूप में तैयार करना, प्रेस विज्ञप्ति लिखना, पत्रकार-वार्ता की व्यवस्था करना, समाचार-पत्रों एवं चैनलों से समन्वय, सरकारी...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-pro

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

जनसंपर्क अधिकारी सरकार और जनता के बीच सूचना का सेतु है। काम में विभागों की योजनाओं एवं निर्णयों को समाचार के रूप में तैयार करना, प्रेस विज्ञप्ति लिखना, पत्रकार-वार्ता की व्यवस्था करना, समाचार-पत्रों एवं चैनलों से समन्वय, सरकारी विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री की योजना, तथा ज़िले में हो रहे कार्यों का प्रलेखन एवं छायांकन आता है। यह पद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का है और ज़िला स्तर पर जनसंपर्क अधिकारी प्रायः वही व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से ज़िले की सरकारी सूचना बाहर आती है। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य है कि यह उन थोड़े मार्गों में है जहाँ पत्रकारिता की योग्यता एवं अनुभव सीधे सरकारी सेवा में पात्रता बन जाते हैं — नियमों में पाँच वर्ष का पत्रकारिता अनुभव योग्यता के तीन विकल्पों में से एक है, और पत्रकारिता का डिप्लोमा दूसरा।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	स्नातक + 5 वर्ष पत्रकारिता अनुभव, अथवा स्नातक + पत्रकारिता में डिप्लोमा, अथवा हिन्दी/अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर + 3 वर्ष पत्रकारिता अनुभव (सेवा नियम 1966, अनुसूची-I)
भर्ती संस्था	राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.), अजमेर — विभाग: सूचना एवं जनसंपर्क
आयु-सीमा	21 से 40 वर्ष — ऊपरी सीमा अनुसूची-I के स्तंभ 7 ("आयु-सीमा, सीधी भर्ती हेतु") से — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर सेवा नियमों में नहीं दिया — विज्ञप्ति देखें
माँग	50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति से (सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर 5 वर्ष के अनुभव पर)

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- लिखने, समाचार एवं संचार में रुचि
- सरकारी योजनाओं एवं नीति को आम भाषा में लाना
- लोगों से मिलना एवं सार्वजनिक जीवन

क्षमताएँ

- स्पष्ट एवं शीघ्र लेखन — हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों में
- संतुलन एवं विवेक, क्योंकि लिखा हुआ सार्वजनिक रूप से सरकार का वक्तव्य बन जाता है
- दबाव एवं समय-सीमा में काम करना

ज़रूरी कौशल

- समाचार लेखन, प्रेस विज्ञप्ति एवं फ़ीचर लेखन
- सरकारी विज्ञापन, प्रचार सामग्री एवं प्रदर्शनी की योजना
- शासकीय पत्राचार एवं प्रतिवेदन
- पत्रकार-वार्ता एवं मीडिया समन्वय
- छायांकन, वीडियो एवं सोशल मीडिया का प्रबंधन
- संकट के समय संप्रेषण — आपदा, दुर्घटना एवं विवाद के प्रकरणों में

4 कैसे पहुँचें

1. कक्षा 12 किसी भी संकाय से उत्तीर्ण करें; कला संकाय इस राह के लिए स्वाभाविक है।
2. किसी भी विषय में स्नातक करें। इसके बाद तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी — और यह चुनाव जल्दी कर लेना उपयोगी है, क्योंकि तीनों की समय-सीमा अलग है।
3. पहला रास्ता — स्नातक के साथ राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के समाचार-पत्र, राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, अथवा केंद्र या राज्य के जनसंपर्क अथवा सूचना एवं प्रसारण विभाग में 5 वर्ष का पत्रकारिता अनुभव।
4. दूसरा रास्ता — स्नातक के साथ किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा। यह सबसे छोटा रास्ता है, क्योंकि इसमें वर्षों का अनुभव अनिवार्य नहीं।
5. तीसरा रास्ता — हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर के साथ 3 वर्ष का पत्रकारिता अनुभव। जो विद्यार्थी एम.ए. करना चाहते हैं उनके लिए यह उपयोगी है, क्योंकि अनुभव की अवधि पाँच से घटकर तीन वर्ष रह जाती है।
6. आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्ति आने पर आवेदन करें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है। पद 50% सीधी भर्ती एवं 50% पदोन्नति से भरा जाता है, और पदोन्नति सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर 5 वर्ष के अनुभव पर होती है। आधा संवर्ग भीतर से भरा जाना इस पद की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है — इसका अर्थ यह है कि सीधी भर्ती से विज्ञापित पद कुल रिक्तियों के लगभग आधे ही रहते हैं।
- योग्यता में तीन विकल्प हैं और तीनों समान रूप से मान्य हैं — कोई भी एक पर्याप्त है। यह बात इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि पत्रकारिता का डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी को पाँच वर्ष के अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।

- आयु-सीमा नियमों के आयु-नियम में नहीं, अनुसूची-I के स्तंभ 7 में दी गई है, जिसका शीर्षक "Age limit for direct recruitment" है; जनसंपर्क अधिकारी की पंक्ति में वहाँ 40 वर्ष दर्ज है। नियम स्वयं केवल न्यूनतम 21 वर्ष बताता है और ऊपरी सीमा के लिए उसी स्तंभ पर भेजता है।
- ध्यान दें — यह पद सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूचियों में नहीं है, इसलिए इसके लिए सी.ई.टी. उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं।
- इन नियमों को पढ़ते समय एक सावधानी आवश्यक है: दस्तावेज़ में एक दूसरी तालिका भी है जिसका शीर्षक "SCHEDULE I (Prior to 15-02-1977)" है। वह पुरानी, हट चुकी अनुसूची है और उसका स्वरूप वर्तमान अनुसूची जैसा ही दिखता है। इस पृष्ठ के आँकड़े वर्तमान अनुसूची से लिए गए हैं।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Indian Institute of Mass Communication (IIMC) — the country's principal government journalism institute — नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय केंद्र (https://iimc.gov.in/)
- University of Rajasthan — Centre for Mass Communication — जयपुर, राजस्थान (https://uniraj.ac.in/)
- Government colleges with journalism and mass communication, and with M.A. Hindi or English — राजस्थान के सभी संभाग (https://hte.rajasthan.gov.in/)
- Maharaja Ganga Singh University and MDS University — journalism courses — बीकानेर एवं अजमेर

ऑनलाइन

- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान — यही वह विभाग है जिसमें यह पद आता है (https://dipr.rajasthan.gov.in/)

- Press Information Bureau — how government communication is actually written — भारत सरकार (https://pib.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — जनसंचार एवं पत्रकारिता के निःशुल्क पाठ्यक्रम — भारत सरकार (https://swayam.gov.in/)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

स्नातक एवं एम.ए. राजकीय महाविद्यालयों से बहुत कम शुल्क पर हो जाते हैं। पत्रकारिता का डिप्लोमा सबसे छोटा रास्ता है और वह भारतीय जनसंचार संस्थान तथा राज्य के विश्वविद्यालयों में सरकारी शुल्क पर उपलब्ध है — निजी संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं। पाँच अथवा तीन वर्ष के अनुभव वाला रास्ता चुनने पर वह अवधि वेतन के साथ बीतती है, अर्थात् पात्रता बनाने का समय खाली नहीं जाता। तैयारी के लिए सबसे उपयोगी सामग्री निःशुल्क है: विभाग की अपनी प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं पी.आई.बी. की सामग्री पढ़ने से यह समझ आता है कि सरकारी संप्रेषण वास्तव में किस भाषा एवं ढाँचे में लिखा जाता है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

ज़िला जनसंपर्क कार्यालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संभागीय एवं राज्य स्तरीय कार्यालय, सचिवालय, तथा वे सब स्थान जहाँ सरकारी कार्यक्रम, दौरे एवं आयोजन होते हैं।

कार्य-संस्कृति

काम समाचार की गति से चलता है, इसलिए घंटे नियमित नहीं रहते — मुख्यमंत्री अथवा मंत्री का दौरा, कोई आपदा, अथवा कोई बड़ी घोषणा दिनचर्या बदल देती है, और सामग्री उसी दिन जानी होती है। पद का स्वभाव दोहरा है: एक ओर यह पत्रकारिता जैसा रचनात्मक एवं सार्वजनिक काम है, दूसरी ओर यह शासकीय सेवा है जिसमें लिखा हुआ हर वाक्य सरकार का आधिकारिक वक्तव्य माना जाता है। इसी कारण इसमें भाषा पर संयम एवं तथ्य पर सावधानी दोनों आवश्यक हैं — यहाँ शीघ्रता और शुद्धता एक साथ निभानी होती है, और यही इस पेशे की असली कठिनाई है। इसके बदले में यह उन थोड़े सरकारी पदों में है जहाँ लिखने की क्षमता ही मुख्य पूँजी है और वह प्रतिदिन काम आती है।

कौन नौकरी देता है

- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान
- ज़िला एवं संभागीय जनसंपर्क कार्यालय
- सचिवालय एवं विभागों की जनसंपर्क इकाइयाँ
- राज्य के निगम, मंडल एवं स्वायत्त संस्थान

माँग (2026)

हर ज़िले में जनसंपर्क कार्यालय है और सरकारी योजनाओं का प्रचार, प्रेस से समन्वय एवं सूचना का प्रकाशन निरंतर चलने वाला काम है, इसलिए यह संवर्ग स्थायी है। साथ ही यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि संवर्ग बहुत बड़ा नहीं है और आधे पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, इसलिए सीधी भर्ती की रिक्तियाँ सीमित रहती हैं और विज्ञप्ति हर वर्ष नहीं आती। इस पद की तैयारी की सबसे व्यावहारिक बात यह है कि पात्रता के तीनों रास्ते अपने आप में रोज़गार हैं — पत्रकारिता का अनुभव समाचार-पत्र अथवा एजेंसी में वेतन के साथ बनता है, और पत्रकारिता का डिप्लोमा निजी क्षेत्र के संचार एवं मीडिया कार्यों में भी चलता है। अर्थात् इस पद की तैयारी करते हुए आजीविका रुकती नहीं। यह भी ध्यान रखें कि पदों की संख्या विभाग की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. सहायक जनसंपर्क अधिकारी — इस पद पर 5 वर्ष का अनुभव जनसंपर्क अधिकारी के 50% पदोन्नति-कोटे की शर्त है
2. जनसंपर्क अधिकारी — 50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति से
3. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी एवं उप निदेशक स्तर के पद
4. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क — विभाग का सर्वोच्च पद, जो नियमों के अनुसार पदोन्नति से अथवा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थानांतरण से भरा जाता है

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹55,000 – ₹75,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹90,000 से अधिक (भत्तों सहित, वरिष्ठ एवं उप निदेशक स्तर पर)

1966 के सेवा नियमों में पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया गया, इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया — वह उसी चक्र की विज्ञप्ति में मिलेगा। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं; उन्हें दिशा समझें, वचन नहीं। एक बात ध्यान देने योग्य है — निदेशक का पद नियमों के अनुसार पदोन्नति अथवा प्रशासनिक सेवा से स्थानांतरण, दोनों से भरा जा सकता है, इसलिए इस संवर्ग की सबसे ऊँची सीढ़ी सदैव भीतर से ही नहीं भरती। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- लिखने की क्षमता ही मुख्य योग्यता है और वह प्रतिदिन काम आती है
- पात्रता के तीन विकल्प — डिप्लोमा वाला रास्ता सबसे छोटा है
- पात्रता बनाने की अवधि स्वयं रोज़गार है, खाली प्रतीक्षा नहीं
- सार्वजनिक जीवन एवं नीति के निकट रहने वाला काम

चुनौतियाँ

- समाचार की गति से चलने वाला काम — घंटे अनियमित रहते हैं
- आधे पद पदोन्नति से भरते हैं, इसलिए सीधी भर्ती की रिक्तियाँ सीमित
- लिखा हुआ हर वाक्य सरकार का आधिकारिक वक्तव्य बन जाता है — स्वतंत्रता उतनी नहीं जितनी पत्रकारिता में
- संवर्ग छोटा है और विज्ञप्ति हर वर्ष नहीं आती

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस./आर.टी.एस.)
- प्लाटून कमांडर (गृह रक्षा, राजस्थान)

- संविदा सफाई कर्मचारी — नगरीय निकाय, राजस्थान

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966 — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/20230718121022858026 2DPRStatepdf_merged(1).pdf

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग — विज्ञप्तियाँ — https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements

3. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान — https://dipr.rajasthan.gov.in/

4. भारतीय जनसंचार संस्थान — https://iimc.gov.in/

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in